

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला।

विषय:

यादि क्रमांक 8-व-5-2016/5846
चण्डीगढ़ दिनांक 28/3/16

Diversion of 0.650 ha. of forest land in favour of of Executive Engineer, P.H. Engineering Divn. Bahadurgarh for laying of drinking water supply water supply pipe line from village Bamdoli to Ladrawan Water Work under forest division and District Jhajjar. ()

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक डी-गा-6441/7141, दिनांक 03.03.2016.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन 0 पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.11 ha. वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:-

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार इस स्कीम में कोई वृक्ष बाधक नहीं है। अतः कोई वृक्ष काटा नहीं जायेगा।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम अनुसार 1547234/-रु प्रतिपूर्ति पौधारोपण राशि CAMPA में जमा करवाई जाये।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार GWS Channel at village Nilothi पर प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 1547234/-रु (Fifteen lac forty seven thousand two hundred thirty four only) की राशि से 1300 पौधे लगा कर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के साथ जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर- हो जाना चाहिए।
- (v) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
- (vi) Supreme Court के आदेशानुसार जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- (vii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बढ़ाने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- (viii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- (ix) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- (x) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- (xi) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे।
- (xii) जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईन्धन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- (xiii) प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षण द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणि समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- (xiv) कूड़ा क्वार्ट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- (xv) अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- (xvi) प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी।
- (xvii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेने विभाग की जिम्मेवारी होगी।

प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डल अधिकारी, झज्जर।

विशेष सचिव, 21/3/16
कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।